न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 212/22

तारीख

लाड़ देवी पत्नि विरेन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

..........प्रार्थीया

बनाम

01. शिवदयाल पुत्र प्रेमचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

02. छीतरलाल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केशरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 30.5.2022

प्रार्थना पत्र **लाड़ देवी पत्नि विरेन्द्र जाति धाकड निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफुल धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि **मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 220 पर अंकित आराजी संख्या 904/343 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार कांश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीशनर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर कि **मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 220 पर अंकित आराजी संख्या 904/343 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा ज़ावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ